न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2020

अनवान :

1. ज्ञानसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा। :— वादी

ब ना म

1 कुरडाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
2 बलवीरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3 धर्मपालसिह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
4 अमरपति पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
5 बिमला पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
6 ओ0बी0सी0 शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा
7 एसबीआई भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा। :— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी
वकील श्री सरजीत बिजारिणयां : प्रतिवादीगण

दिनांक : 24.12.2020

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 60/54 के खसरा सं0 650/1 की 1.846है0, खसरा सं0 651/2 की 0.417है0 कुल 2.263है0, रोही मोजा ढाका के खाता सं0 16/16 के खसरा सं0 185 की 1.530है0 खसरा सं0 221 की 3.022है0 कुल 4.552है0, व इसी प्रकार रोही गदरा के खाता सं0 13/13 के खसरा सं0 100 की 11.255है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुरडाराम के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता गणेशाराम की खातेदारी हुआ करती थी। गणेशाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से

Scanned with CamScanner

जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी सं0 6 व 7 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु ज्ञानसिंह पुत्र कुरडाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम भनाई के खाता सं0 60/54 संवत 2074–77 प्रदर्श 1, रोही गदरा के खाता सं0 13/13, संवत 2073–76 प्रदर्श 2, रोही ढाका खाता सं0 16/16 संवत 2072–75 प्रदर्श 3, भूप्रबंध विभाग रोही ढाका खसरा गिरदावरी संवत 2019 प्रदर्श 4, खसरा गिरदावरी रोही गदरा संवत 2019 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम कुंजी व किकराली के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में तीन पुत्र ज्ञानसिंह, बलबीरसिंह, धर्मपालसिंह व दो पुत्री अमरपति व बिमला के अलावा अन्य कोई वारिस हेना नही बताया गया है। रोही मोजा भनाई के खाता सं0 60/54 के खसरा सं0 650/1 की 1.846है0, खसरा सं0 651/2 की 0.417है0 कुल 2.263है0, रोही मोजा ढाका के खाता सं0 16/16 के खसरा सं0 185 की 1.530हे0 खसरा सं0 221 की 3.022है0 कुल 4.552है0, व इसी प्रकार रोही गदरा के खाता सं0 13/13 के खसरा सं0 100 की 11.255है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 कुरडाराम के नाम दर्ज है। रोही मोजा भनाई के खाता सं0 60/54 में कुरडाराम के नाम से दर्ज भूमि यथावत रखते हुए रोही मोजा ढाका के खाता सं0 16/16 के खसरा सं0 185 की 1.530हे0 खसरा सं0 221 की 3.022है0 कुल 4.552है0, व इसी प्रकार रोही गदरा के खाता सं0 13/13 के खसरा सं0 100 की 11.255है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वाद भूमि में वादी तथा प्रतिवादी सं 2 व 3 का बहिस्सा बराबर है। चुंकि प्रतिवादीया सं0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इस प्रकार वादभूमि में वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 संयुक्त रूप बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाका के खाता सं0 16/16 के खसरा सं0 185 की 1.530है, खसरा सं0 221 की 3.022है0 कुल 4.552है0 व इसी प्रकार रोही गदरा के खाता सं0 13/13 के खसरा सं0 100 की 11.255है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 बलवीरसिंह, प्रतिवादी सं0 3 धर्मपालसिंह को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 148/2020

1. ज्ञानसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1 कुरडाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
2 बलवीरसिंह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
3 धर्मपालसिह पुत्र कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
4 अमरपति पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
5 बिमला पुत्री कुरडाराम जाति जाट निवासी गदरा त0 भादरा।
6 ओ0बी0सी0 शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा
7 एसबीआई भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा ढाका के खाता सं0 16/16 के खसरा सं0 185 की 1.530है, खसरा सं0 221 की 3.022है0 कुल 4. 552है0, व इसी प्रकार रोही गदरा के खाता सं0 13/13 के खसरा सं0 100 की 11. 255है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 कुरडाराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी ज्ञानसिंह व प्रतिवादी सं0 2 बलवीरसिंह, प्रतिवादी सं0 3 धर्मपालसिंह को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकांर्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वा[illegible] वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.12.[illegible] मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:59:27 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रैक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner